पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा नेता लोकेंद्र सिंह बिष्ट।

हमारा दून

विस का बजट सत्र दून में आयोजित करने का निर्णय

कैबिनेट की बैठक

बैठक में कोरोना वायरस कोविड–19 पर नियंत्रण के लिए गए कुछ फैसलों पर भी मुहर लगी

कर्मचारियों की सीधी भर्ती में आरक्षण रोस्टर की नई व्यवस्था समाप्त कर पुरानी व्यवस्था को लागू करने पर मुहर लगी

संवाददाता

देहरादून। राज्य कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र देहरादून में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में कोरोना वायरस कोविड–19 पर नियंत्रण के लिए गए कुछ फैसलों पर भी मुहर लगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों की सीधी भर्ती में आरक्षण रोस्टर की नई व्यवस्था समाप्त कर पुरानी व्यवस्था को लागू करने पर मुहर लगी। अब पहला पद आरक्षित होगा।

सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कोरोना वायरस पर नियंत्रण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने पत्रकारों को दी।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक।

उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस कोविड–19 को देखते हुए सभी मॉल 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। ऋषिकेश एवं टिहरी जनपद में आने वाले विदेशियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर कुमाऊं विकास निगम एवं गढ़वाल विकास निगम के गेस्ट हाउस और स्टेडियम को अधिकृत किया जाएगा। सभी विधायक अपनी विधायक निधि से 15 लाख रुपये मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देंगे। इस धनराशि का उपयोग आवश्यकतानुसार व्यय किया जा सकता है। मुख्य सचिव प्रतिदिन और मुख्यमंत्री दो–तीन दिन के अंतराल पर स्थिति की समीक्षा करेंगे। वहीं अपील के रूप में कहा गया है कि सभी निजी क्षेत्र ऐसी व्यवस्था करें कि आसपास अधिक लोग एकत्र न हों। मरीज में लक्षण मिलने पर तुरंत हॉस्पिटल को सूचना दें। स्थिति पूर्णतः से नियंत्रण में है। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोरोना से निपटने के लिए 10 करोड़ की अतिरिक्त राशि दिये जाने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का सबसे अधिक फोकस एक स्थान पर भीड़भाड़ रोकने पर है। जिसके मद्देनजर सचिवालय सहित सभी सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं के कर्मचारी दफ्तर आयेंगे या फिर जिन कर्मचारियों की जरूरत होगी उन्हे कार्यालय बुलाया जायेगा।

धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक

संवाददाता देहरादून। सरकार द्वारा कोरोना के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर धार्मिक स्थलों में भी श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है। जिससे बड़ी संख्या में लोग एक जगह इकठ्ठे नहीं हो सके। क्योंकि कोरोना का संक्रमित कोई व्यक्ति अगर इस भीड़ का हिस्सा होता है तो वह अनेक लोगों तक संक्रमण पहुंचा सकता है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि ऋषिकेश और हरिद्वार में विदेशी नागरिकों की बड़ी आवाजाही बड़ा खतरा है। अभी ऋषिकेश एम्स में एक विदेशी कोरोना पीड़ित के भागने और फिर उसे पुलिस द्वारा पकड़े जाने की खबर भी आयी थी। अगर भीड़ से इस संक्रमण का फैलना शुरू हो जाता है तो फिर इसे रोक पाना मुश्किल हो जायेगा। यही कारण है कि देश भर में बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के आवागमन पर रोक लगा दी गयी है। इसी खतरे के मद्देनजर अब राजपुर रोड स्थित साईं मन्दिर और तिब्बती मन्दिर में भी श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है जिससे 50 से अधिक लोग एक स्थान पर जमा न हो सकें। डाक्टरों की राय है कि कोरोना का इलाज बचाव में ही निहित है इसलिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से जितना बचा जा सके बचें।

पुलिस के सामने कोरोना संदिग्धों से भी निपटने की चुनौती

अभियान

■ पुलिसकर्मी अभी भी मास्क और सेनिटाइजर के भरोसे डटे हुए हैं मोर्चे पर

देहरादून। **संवाददाता**

अब तक अपराधियों ने ही नाक में दम कर रखा था। अब पुलिस के सामने कोरोना संदिग्धों से भी निपटने की चुनौती है। पिछले दिनों कोरोना संदिग्धों के भागने की खबर के बाद कुछ लोग सवाल पूछने लगे कि पुलिस क्या कर रही थी? अब उन्हें कौन बताए कि कोरोना संदिग्धों को दौड़ाकर तो पकड़ा नहीं जा सकता। इन्हें पकड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ वो तमाम उपाय भी करने होंगे, जिससे किसी पुलिसकर्मी को संक्रमण न हो। सवाल यह भी होना चाहिए कि पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए क्या कोई गाइडलाइन तय की गई है। यह पुलिस का जज्बा ही है कि तमाम विभागों में जहां वर्क टू होम का आदेश होने लगा है, वहीं पुलिसकर्मी अभी भी मास्क और सेनिटाइजर के भरोसे मोर्चे पर डटे हुए हैं। शासन को पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य को लेकर भी रणनीति बनानी पड़ेगी, जिससे वह खुद को सुरक्षित महसूस करें।

इन दिनों अगर कोई लाइमलाइट में है तो वो है कोरोना। खौफ के कारण ही सही, लेकिन यही एक नाम है जो एशिया से यूरोप तक लोगों की जुबां पर चढ़ा हुआ है। सचिवालय से लेकर हर सरकारी दफ्तर में भी कामकाज के बजाय सिर्फ और सिर्फ कोरोना पर बहस चल रही है। हर कोई कोरोना पर अपने तर्क और वाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बघार रहा है। लेकिन, एहतियात बरतने में ये उतने ही पीछे हैं। ...तो क्या कोरोना से निपटने के लिए सिर्फ चर्चाओं का दौर ही काफी है? हालांकि, कुछ दफ्तरों में आम लोगों के आने–जाने पर रोक लगा दी गई है।

धरना को शहर में चाहिए ठिकाना

अब तक परेड ग्राउंड में धरना देकर सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने वाले अधिकारी–कर्मचारियों से लेकर तमाम संगठनों से जुड़े लोग इन दिनों अजीब पसोपेश में हैं। वजह यह कि प्रशासन ने धरनास्थल को सहस्रधारा रोड पर शिफ्ट कर दिया है। अब वह धरना दे रहे हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि, वहां न तो आम जनता की नजर उन पर पड़ रही है और न ही सरकार को इससे किसी तरह की परेशानी हो रही है। ऐसे में संगठनों ने अब सरकार से गुहार लगाई है कि धरनास्थल शहर में ही आवंटित किया जाए।

अवैध रूप से पशुवध की रोक थाम को चलाए अभियान

संवाददाता देहरादून। जनपद में अवैध रूप से पशुवध के रोकथाम हेतु डीएम डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मसूरी, विकासनगर, हरबर्टपुर एवं डोईवाला को जिला पंचायत एवं समस्त नगर पालिका परिषद को अपने–अपने क्षेत्रों में अवैध रूप से पशुवध की रोक–थाम हेतु जनपद के बाहर से पशुओं को वध के प्रयोजन हेतु लाये जाने के दृष्टिगत सतर्कता बनाये रखने व निरंतर अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये। सम्बन्धित अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अधीन इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश के साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दून से जनपद की सीमाओं के सभी चौक पोस्टों पर इसकी चौकिंग सम्बन्धित अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अधीन इसका कड़ाई से अनुपालन करवाने का अनुरोध किया।

कोरोना के मद्देनजर प्रोफेशनल कॉलेजों को भी बंद करने की मांग

संवाददाता देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा माहरा दसौनी ने कोरोना के मद्देनजर मुख्यमंत्री से प्रोफेशनल कॉलेजों को भी बंद करने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार के आदेश के बावजूद भी कई प्रोफेशनल कॉलेज खुले रखे गए हैं। जिससे वहां अध्ययनरत छात्रों में संक्रमण की आशंका है। गरिमा ने कहा कि देश में कोरोना को महामारी घोषित किया गया है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघरों के साथ सरकारी दफ्तरों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। लेकिन राजधानी के कतिपय टेक्निकल, इंजीनियरिंग, और लॉ कॉलेज आदि खुले हैं। जिससे वहां अध्ययनरत छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। साथ ही अभिभावक कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर चिंतित हैं।

संक्षिप्त समाचार

जिला योजना समिति का 24 मार्च हो होने वाला चुनाव स्थगित

संवाददाता देहरादून। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश 18 मार्च के क्रम में जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला योजना समिति) डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया कि कोराना वायरस कोविड–19 की रोकथाम के सम्बन्ध में जारी एडवायजरी के परिपेक्ष्य में उत्तराखण्ड राज्य जिला योजना समिति के सामान्य निर्वाचन–2020 हेतु 24 मार्च को निर्धारित मतदान एवं मतगणना तिथि अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गयी है। उन्होंने अवगत कराया है कि निर्धारित मतदान एवं मतगणना की तिथि आयोग के निर्देशानुसार अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गयी है।

राज्य के सभी शॉपिंग मॉल 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिए

संवाददाता देहरादून। सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नितेश झा ने उत्तराखंड महामारी रोग अधिनियम (कोविड–19) 2020 के अन्तर्गत राज्य के भीतर सभी शॉपिंग मॉल्स को 31 मार्च तक बन्द रखे जाने के निर्देश दिए हैं।

पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करना सरकार का ऐतिहासिक निर्णयः बिष्ट

संवाददाता देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर एक ऐतिहासिक काम किया है, ये एक ऐसा निर्णय है जो कठोर के साथ साथ ऐतिहासिक भी है। इस तरह के निर्णय केवल और केवल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ही ले सकते हैं। भाजपा नेता लोकेन्द्र सिंह बिष्ट ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि अभी हाल में गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र में गैरसैण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का निर्णय भी ऐतिहासिक है। इन दो ऐतिहासिक निर्णय से मुख्यमंत्री युगपुरुष तो बने ही हैं साथ ही अपने सभी तरह के विरोधियों को उन्होंने धूल भी चटा दी है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
प्रदीप चौधरी
द्वारा
एल.के प्रिटर्स,74/9,आराघर,देहरादून से मुद्रित
व जाखन जोहड़ी रोड, पी.ओ–राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादकः प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालयः
शिवम् मार्केट, द्वितीय तल
दर्शनलाल चौक, देहरादून।
फैक्स नं०–
0135-2650558
(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं0
UTTHIN\2005\15735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून ही मान्य होगा।